

**मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।**

पत्रांक—
प्रेषक,

/ पटना, दिनांक—

ई0 श्रीप्रकाश,
मुख्य अभियंता-2

सेवा में,
अधीक्षण अभियंता,
ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, मधेपुरा।

विषय:— ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल के अधीन शीर्ष MMGSY (अवशेष) (एन0डी0वी0) योजनान्तर्गत स्वीकृत 13 (तेरह) अदद पथ/पुल के निर्माण कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:—अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा का पत्रांक-759 अनु0 दिनांक- 09.10.2023 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल का पत्रांक 1348 अनु0, दिनांक 27.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्राप्त कुल 13 (तेरह) अदद पथ/पुल का प्राक्कलन प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। योजना का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग तथा प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' के क्रमशः स्तम्भ-2, 4 से 8 एवं 9 में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है, जो कि पत्र के परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 04 से 08 में अंकित है।
 3. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
 4. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रावधानित पुल/पुलियों स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित किया जाये।
 5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक माह की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति न समझी जाए।
 7. अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, मधेपुरा ऐसे मदों के दर, जो अनुसूचित दर में नहीं हैं, का दर विश्लेषण केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
 8. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अद्यतन अनुसूचित दर पर अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
 9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
 10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।
- अनु0- परिशिष्ट "क" एवं स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन,

ह0/-

मुख्य अभियंता-2

ज्ञापांक— 3229 / पटना, दिनांक— 09.10.23

प्रतिलिपि:— कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-2

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नाम:- परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग:- परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 04 से 08 के अनुसार।

विवरणी

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 09 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य MMGSY (अवशेष) (एन0डी0बी0) योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:-

प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण

अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य

7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रोसेक्सन एवं प्री-लेवल निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण के लिए एस0क्यू0एम0 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत प्राक्कलन के साथ संलग्न लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर किया गया एवं जमीन उपलब्ध है, इसे मानते हुए गणना की गयी है।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification Rural Roads Manual (IRC SP :20) तथा IRC SP :72 एवं IRC SP :62 की विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रेडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरान्त ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।

16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में **MMGSY (अवशेष) (एन0डी0बी0)** योजना की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी भी तरह से **MMGSY (अवशेष) (एन0डी0बी0)** की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय-समय निर्गत ग्रामीण कार्य विभाग/**BRRDA**, बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
18. स्वीकृत कार्य के विरुद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकूल घटा ली जाये।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय-सीमा के अनुरूप हो।
21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो ले कि एफ0एल0 बाढ़ स्तर के अनुरूप हो।
22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण-नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन-।। के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
23. जिन कार्यों का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केन्द्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरान्त प्राप्त करेंगे।
24. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र-संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण-पत्र देंगे।
27. प्राक्कलन में प्रयुक्त तकनीकी आँकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
28. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर न्यूनतम दर का प्रावधान अधीक्षण अभियंता, सुनिश्चित करेंगे।
29. अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से दर विश्लेषण की जांच कर लेंगे। यदि त्रुटि हो, तो अपने स्तर से सुधार कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

मुख्य अभियंता-2,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगच्छल, सुपौल के अधीन शीर्ष MCGSY (अवशेष) (एनडीडीवी) योजना-न्तर्गत प्राथमिक स्वीकृति प्रदत्त
योजनाओं की सूची:-

Sl no.	Name of Scheme	Length (in k.m)	Administrative Approval					T.S Cost (in lakh)
			Department Ref. Lett. No. & Date	Const. Cost (in lakh)	Maint. Cost (in lakh)	Contig. Cost (in lakh)	Total Cost (in lakh)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Veena to Balyas Mushari MCGSY Road to Sundarpur Kumbhar Tola	2.239	1630/21.09.23	248.595	15.381	4.633	268.609	268.061
2	NH-327 A (Disko House) to PMGSY Road	1.009	1630/21.09.23	113.186	8.533	2.111	123.830	124.246
3	Nirmali Marauna Road T01 to Ratho Paswan Tola Ward 5	0.795	1630/21.09.23	87.653	7.739	1.636	97.028	96.702
4	NH-57 Ramkheawan Mandal to Haripur Jilevi Mandal House	0.824	1630/21.09.23	90.819	7.117	1.694	99.630	100.484
5	NH-57 Bhagat Mandal Land to Satyanarayan Mandal House	1.676	1630/21.09.23	190.947	12.813	3.566	207.326	207.651
6	Majhari, Ayodhi Mandal Garden to NH-57	0.805	1630/21.09.23	91.86	6.823	1.715	100.398	100.098
7	Mahua, Duktan Yadav House to Mahadalit Tola, Maheshwar Saday House	0.860	1630/21.09.23	92.253	7.113	1.722	101.088	100.800
8	Dallu Mandal House to Dhanik Lal Mandal	0.369	1630/21.09.23	40.863	3.57	0.762	45.195	45.309
9	Chandani Chowk (Shiv Mandir) on Road No.-6 to Yadav Tola Digthiya	1.801	1630/21.09.23	201.051	15.746	3.75	220.547	220.322
10	Manjhari Rameshwar Pandit land to Majhari, Muslim Tola	1.567	1630/21.09.23	177.722	14.205	3.319	195.246	195.150
11	Narayan Pandit House to Kedar Pandit	0.756	1630/21.09.23	86.374	5.848	1.612	93.834	93.628

sl no.	Name of Scheme	Length (in km)	Administrative Approval					T.S Cost (in lakh)
			Department Ref. Lett. No. & Date	Const. Cost (in lakh)	Mainl. Cost (in lakh)	Contig. Cost (in lakh)	Total Cost (in lakh)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Koshi Bandh, Suraj Yadav Shop to Sathokhar Tola	1.099	1630/21.09.23	126.182	8.735	2.354	137.271	136.908
13	Hanuman Mandir to Chakla PWD Sima	0.905	1630/21.09.23	93.536	7.348	2.105	102.989	103.200

Chief Engineer-2
R.W.D, Patna

[Handwritten signature]
8/10/23